

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/61/2021

अपीलाट श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नारायणाराम बिश्नोई
निवासी गांव मोखावा तहसील गुडामालानी बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गुडामालानी

आदेश

दिनांक : 01.09.2021

अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नारायणाराम बिश्नोई निवासी गांव मोखावा तहसील गुडामालानी बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार गुडामालानी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत: उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 455602 दिनांक 02.06.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गुडामालानी को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

हमने अपीलाट की अपील का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 415 दिनांक 03.08.2021 यथा उपलब्धता अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र का निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। अतः पत्रावली का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलाट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को न्यायालय में सुनाया गया।



lon
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर

